रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052020-219330
CG-DL-E-11052020-219330

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1290] नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2020/वैशाख 21, 1942
No. 1290] NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2020/VAISAKHA 21, 1942

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2020

का. आ. 1440 (अ) —राष्ट्रपति ने 24 अप्रैल, 2020 को होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का 6), प्रख्यापित किया है, जो उक्त तारीख को प्रवृत्त हो गया है;

और धारा 3क की उप धारा (2) (उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित) में, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय परिषद् का, परिषद् के अधिक्रांत होने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर पुनर्गठन करने की अपेक्षा है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 3क की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 1988(अ), तारीख 18 मई, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, के पैरा सं. 3 में "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. आर. 21011/06/2020–ईपी-II]

पी. एन. रण्जीत कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्यांक क. आ. 1988(अ), तारीख 18 मई, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का. आ. संख्यांक 02 (अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा उसका अन्तिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2020

S.O. 1440(E).—Whereas the President promulgated the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2020 (Ord. 6 of 2020), on 24th April, 2020, which came into force on the said date;

And Whereas, sub-section (2) of section 3A (as amended by the said Ordinance) requires the Central Council to be reconstituted in accordance with the provisions of section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) within a period of three years from the date of supersession of the Council;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3A of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, published in Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 1988 (E), dated the 18th May, 2018, namely:-

In the said notification, in paragraph 3, for the words "two years", the words, "three years" shall be substituted.

[F.N. R-21011/06/2020-EP-II]

P.N. RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in Gazette of India,Extraordinary vide number S.O. 1988(E), dated the 18th May, 2018 and last amended vide number S.O. 02 (E), dated the 31st December, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.05.11 18:36:01 +05'30'